

**BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 87 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RANG BAHADUR SINGH

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in Compliance of the order dated 05.03.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi	1-4
2.	Annexure 1 A true copy of an inspection reports dated 17.06.2025	5-9
3.	Annexure 2 A true copy of Closure Order dated 23.05.2023 along with the list of brick kilns	10-11
4.	Annexure 3 A true copy of Show Cause Notice dated 23.06.2025	12-13
5.	Annexure 4 A true copy of the direction dated 04.11.2024	14
6.	Annexure 5 A true copy of the photographs of the brick kilns in question	15-22

93

THROUGH

DATE: 03.07.2025

PLACE: NEW DELHI



**STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303**

(M): 9711116034

(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 87 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RANG BAHADUR SINGH

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...RESPONDENT(S)

RESPONSE ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH
POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF THE
ORDER DATED 05.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW
DELHI

I, Pradeep Kumar Vishwakarma, aged about 44 years S/o Sri Jhabbu Lal Vishwakarma, presently posted as Regional officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Raebareli do hereby solemnly affirm and state on oath as under:


1. That I the deponent in official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

Pradeep

NOTARY

3. That in the present matter applicant has raised the grievances that respondent nos. 06 to 09 brick kilns are illegally operating in Tehsil Kadipur, District Sultanpur, Uttar Pradesh without having any Consent to Operate (CTO) and necessary Environmental Clearance (EC) near the residential area, School and agricultural field causing serious air pollution, creating health hazard and depleting the quality of the agricultural land.
4. That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 05.03.2025 has pleased to directed the respondents to file their response. Further this Hon'ble Tribunal has also directed the UPPCB to file a comprehensive report disclosing the status of operation of brick kilns and if these brick kilns are operating with necessary EC and if not, action which has been taken by the UPPCB.
5. That in compliance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal vide order dated 05.03.2025 the officials of UPPCB has inspected the brick kilns in question i.e. Respondent No.-6, M/s Raj Ent Udyog, Village-Jalalpur, Post-Kadipur Khurd, Tehsil Kadipur District-Sultanpur, Respondent No.-7, M/s New Raj Ent Udyog, Village-Naraynpara, Post-Barwaripur, Tehsil Kadipur District-Sultanpur, Respondent No.-8, M/s Rajan Ent Udyog, Village-Kadipur Khurd, Post-Kadipur Khurd, Tehsil Kadipur District-Sultanpur and Respondent No.-9, M/s Lucky Ent Udyog, Village-Prannathpur Khurd, Post-Kishundaspur, Tehsil Kadipur District-Sultanpur on 17.06.2025.



Handwritten signature

Handwritten signature
NOTARY

A true copy of an inspection reports dated 17.06.2025 is collectively being annexed herewith as **Annexure No. 1.**

6. That during inspection 03 Brick Kilns i.e. Respondent No.-6, 7 and 8 were found closed in compliance with the closure order issued by UPPCB vide letter no.-H94163/C-5/Ent-R/Sa 546/2023 dated 23.05.2023.

A true copy of Closure Order dated 23.05.2023 along with the list of brick kilns is being annexed herewith as **Annexure No. 2.**

7. That during inspection the Respondent No.-9 i.e. M/s Lucky Ent Udyog, Village-Prannathpur Khurd, Post-Kishundaspur, Tehsil Kadipur, District-Sultanpur was also found closed. It is further submitted that the site of the brick kiln in question is also not found as per guidelines mentioned in "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012" wherefore a Show Cause Notice has been issued by the UPPCB vide its letter no.-H29440/C-5/Ent-324/25 dated 23.06.2025. The UPPCB vide letter no. 490/C-2/G/S/2024-25 dated 04.11.2024 has also directed the brick kiln in question to not to operate without permission and consent from UPPCB.

A true copy of Show Cause Notice dated 23.06.2025 is being annexed herewith as **Annexure No. 3.**

A true copy of the direction dated 04.11.2024 is being annexed herewith as **Annexure No. 4.**


A true copy of the photographs of the brick kilns in question is also being annexed herewith as **Annexure No. 5.**



Chhanga Lal Pal

NOTARY

8. That the above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and necessary consideration. It is prayed that the same be taken on record.



[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Raebareli on this 01 day of July, 2025, that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Solemnly affirmed before me by
Shri. Radeep Kumar Mishra of Korum
Identified by Shri. [Signature]
Who is Personally known to me at.....
.....or in my office on.....
the Contents of this has been read over and
understood by the deponent
Dist. Rae Bareilly

[Signature]
DEPONENT

[Signature]
Advocate/Notary
Tan Sadar Raebareilly
01-7-2025

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित घाट ओ०ए० संख्या-०७/२०२५ रंग बहादुर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-०५.०३.२०२६ के अनुपालन में याचिका में उल्लिखित ईट भट्टों की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-०७/२०२५ रंग बहादुर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-०५.०३.२०२५ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि मैसर्स राज ईट उद्योग, ग्राम-जलालपुर, पो०-कादीपुर खुर्द, तह०-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर, मैसर्स न्यू राज ईट उद्योग, ग्राम-नारायणपारा, पो०-वरवारीपुर, तह०-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर, मैसर्स लकी ईट उद्योग, ग्राम-प्राणनाथपुर खुर्द, पो०-किशुनदासपुर, तह०-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर एवं मैसर्स राजन ईट उद्योग, ग्राम-कादीपुर खुर्द, तह०-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर से सम्बन्धित है। जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

"..... 5. OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

6. Issue notice to the respondents for filing their response by way of affidavit at least one week before the next date of hearing.

7. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

8. Counsel for the Applicant is directed to supply copy of the OA along with all the enclosures to Counsel for the Respondents within one week.

9. Respondent no.2-UPPCB is directed to file a comprehensive report disclosing the status of operation of brick kilns and if these brick kilns are operating with necessary EC and if not, action which has been taken by respondent-UPPCB.

10. List on 08.07.2025....."


माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सन्दर्भित ईट भट्टों का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-१७.०६.२०२५ को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

1. मैसर्स राज ईट उद्योग, ग्राम-जलालपुर, पो०-कादीपुर खुर्द, तह०-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर
 - (i) उक्त ईट भट्टा सुल्तानपुर शहर से लगभग ३० किमी० दूर कादीपुर-चांदा मार्ग पर स्थित ग्राम-जलालपुर में स्थापित है। ईट भट्टे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः २६.१४०९६२, ८२.३४७८२६ है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह उपस्थित रहे। ईट भट्टे की स्थापित क्षमता १९ पाया लगभग २५००० ईट/दिन उत्पादन की है। निरीक्षण के समय ट्रेन्च में पुरानी ईट भरी हुई पायी गयी। पलू गैस उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग ३० मीटर ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। परन्तु चिमनी में प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी।
 - (ii) ईट भट्टे की चिमनी से चारों दिशाओं की स्थिति के अनुसार ईट भट्टा की चिमनी से-
 - पूरव दिशा में ग्राम-जलालपुर की आबादी लगभग ४०० मीटर पर लगभग ३०-३५ घर।
 - पश्चिम दिशा में ग्राम-अनिरौला-सरैयाकला लगभग ४०० मीटर की दूरी पर आबादी लगभग २५-३० घर।
 - उत्तर दिशा में ग्राम-सरैयाकला की आबादी लगभग ५५० मीटर पर आबादी लगभग १०-१२ घर।

gpd *Shiv*

- दक्षिण दिशा में ग्राम-जलालपुर लगभग 400 मीटर की दूरी पर आबादी लगभग 15-20 घर।
- (iii) निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालन (फुँकवाई) में नहीं पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे को स्थापना/संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है। ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच94163/सी-5/ईट-आर/सामा0-546/2023 दिनांक-23.05.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत है जो अद्यतन प्रभावी है। ईट भट्टा बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द पाया गया। पूर्व में ईट भट्टे को इस कार्यालय के पत्र संख्या-492/सी-2/जी/एस/2024-25 दिनांक-04.11.2024 के माध्यम से ईट भट्टा का संचालन किसी भी दशा में न करने हेतु निर्देशित भी किया जा चुका है। (संलग्नक-1 व 2)


(iv) निरीक्षण के समय लिए गए फोटोग्राफ्स निम्नवत हैं-



2. मैसर्स न्यू राज ईट उद्योग, ग्राम-नारायणपारा, पो0-बरवारीपुर, तह0-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर

- उक्त ईट भट्टा सुल्तानपुर शहर से लगभग 30 किमी० दूर स्थित कादीपुर-बाजार मार्ग पर स्थित ग्राम-नारायणपारा में स्थापित है। ईट भट्टे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.176997, 82.3701629 है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह उपस्थित रहे। ईट भट्टे की स्थापित क्षमता 19 पाया लगभग 25000 ईट/दिन उत्पादन की है। निरीक्षण के समय ट्रेन्च में पुरानी ईट भरी हुई पायी गयी। पलू गैस उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। परन्तु चिमनी में प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी।
- ईट भट्टे की चिमनी से चारों दिशाओं की स्थिति के अनुसार ईट भट्टा की चिमनी से-
 - पूरव दिशा में ग्राम-खिजराबाद की आबादी लगभग 300 मीटर पर लगभग 20-25 घर।
 - पश्चिम दिशा में ग्राम-कटघरा लगभग 600 मीटर पर आबादी लगभग 10-15 घर।

- उत्तर दिशा में ग्राम-बाछापारा की आबादी लगभग 600 मीटर पर आबादी लगभग 25-30 घर।
 - दक्षिण दिशा में ग्राम-नारायणपारा की आबादी लगभग 450 मीटर की दूरी पर आबादी 25-30 घर।
- (iii) निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे को स्थापना/संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/राहगति (जल/वायु) निर्गत नहीं है। ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच94163/सी-5/ईट-आर/ सागा0-546/2023 दिनांक-23.05.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत है जो अद्यतन प्रभावी है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द पाया गया। (संलग्नक-3)
- (iv) निरीक्षण के समय लिए गए फोटोग्राफ्स निम्नवत हैं-




3. मैसर्स राजन ईट उद्योग, ग्राम-कादीपुर खुर्द, तह0-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर

- (i) उक्त ईट भट्टा सुल्तानपुर शहर से लगभग 30 किमी० दूर कादीपुर-चांदा मार्ग पर स्थित ग्राम-कादीपुर खुर्द में स्थापित है। ईट भट्टे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.132807, 82.355950 है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह (प्रतिनिधि) उपस्थित रहे। ईट भट्टे की स्थापित क्षमता 19 पाया लगभग 25000 ईट/दिन उत्पादन की है। निरीक्षण के समय ट्रेन्च में पुरानी ईट भरी हुई पायी गयी। पलू गैस उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। परन्तु चिमनी में प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी।
- (ii) ईट भट्टे की चिमनी से चारों दिशाओं की स्थिति के अनुसार ईट भट्टा की चिमनी से-
- पूरब दिशा में ग्राम-कादीपुर खुर्द की आबादी लगभग 400 मीटर पर आबादी लगभग 30-35 घर।
 - पश्चिम दिशा में कादीपुर-दोस्तपुर मार्ग 50 मीटर की दूरी पर तत्परचात लगभग 800 मीटर तक कृषि भूमि।

9/2


श्री

- उत्तर-पूरब दिशा में ग्राम-जलालपुर की आवादी लगभग 300 मीटर पर आवादी लगभग 25-30 घर।
- दक्षिण दिशा में ग्राम-कादीपुर खुर्द लगभग 350 मीटर की दूरी पर आवादी लगभग 35-40 घर।
- (iii) निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति/सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है। ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच94163/सी-5/ईट-आर/ सामा0-546/2023 दिनांक-23.05.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत है जो अद्यतन प्रभावी है। ईट भट्टा बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द पाया गया। पूर्व में ईट भट्टे को इस कार्यालय के पत्र संख्या-492/सी-2/जी/एस/2024-25 दिनांक-04.11.2024 के माध्यम से ईट भट्टा का संचालन किसी भी दशा में न करने हेतु निर्देशित भी किया जा चुका है। (संलग्नक-4 व 5)
- (iv) निरीक्षण के समय लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत हैं-



4. मैसर्स लकी ईट उद्योग, ग्राम-प्राणनाथपुर खुर्द, पो0-किशनदासपुर, तह0-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर
- (i) उक्त ईट भट्टा सुल्तानपुर शहर से लगभग 30 किमी0 दूर कादीपुर-चांदा मार्ग पर स्थित ग्राम-प्राणनाथपुर खुर्द में स्थापित है। ईट भट्टे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.135965, 82.364114 है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेश कुमार (मुंशी) उपस्थित रहे। ईट भट्टे की स्थापित क्षमता 19 पाया लगभग 25000 ईट/दिन उत्पादन की है। निरीक्षण के समय ट्रेन्च में पुरानी ईट भरी हुई पायी गयी। फलू गैस उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। परन्तु चिमनी पर प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी।
- (ii) ईट भट्टे की चिमनी से चारों दिशाओं की स्थिति के अनुसार ईट भट्टा की चिमनी से-
- पूरब दिशा में ग्राम-किशनदासपुर की आवादी लगभग 250 मीटर पर लगभग 15-20 घर।

- पश्चिम दिशा में ग्राम-जलालपुर की आबादी लगभग 450 मीटर की दूरी पर आबादी लगभग 30-35 घर।
 - उत्तर दिशा में ग्राम-मोहम्मदाबाद की आबादी लगभग 1.0 किमी० पर आबादी लगभग 30-40 घर।
 - दक्षिण दिशा में ग्राम-जलालपुर लगभग 400 मीटर की दूरी पर आबादी लगभग 30-35 घर।
- (iii) निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालन में नहीं पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति/सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है। पूर्व में ईट भट्टे को इस कार्यालय के पत्र संख्या-490/सी-2/जी/एस/2024-25 दिनांक-04.11.2024 के माध्यम से ईट भट्टा का संचालन किसी भी दशा में न करने हेतु निर्देशित भी किया जा चुका है। साथ ही बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच29440/सी-5/ईट-324/25 दिनांक-23.06.2025 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण, तथा नियन्त्रण), अधिनियम,1981 की धारा-31 'ए' के अन्तर्गत ईट भट्टे को कारण बताओ नोटिस निर्गत है। (संलग्नक-6 व 7)
- (iv) निरीक्षण के समय लिए गए फोटोग्राफ्स निम्नवत हैं-



Cyud
24/06/25
(मनीष त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक

H. D. 89
24/6/25
(दीपक मेहरा)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

~~क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,~~

Prashant
24/06/25



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या- H 94163/सी-5/ईट-आर/साठ 548/2023

दिनांक: 23.05.2023
पंजीकृत

सेवा में,
सूची संलग्न (39 ईट भट्टा)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद-सुल्तानपुर की सूची में आपके ईट भट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग द्वारा कच्चे गाल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयले का प्रयोग कर ईट के उत्पादन के कार्य हेतु वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 में प्राविधानित है कि:

21. Restrictions on use of certain industrial plant--

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant.....

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद-सुल्तानपुर में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्टों की सूची में आपका ईट भट्टा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्टा उद्योग का उक्त कृत वायु (प्रदूषण निवारण तथा, नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपके ईट भट्टे के वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 'ए' के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश/निर्देश जारी किया जाता है:-

1. यह कि आपके ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टे को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

भुवदीय,
05/05/2023
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी०सी०-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या-582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी०सी०-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी०सी०-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या-582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी०सी०-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे को बन्दी आदेश/निर्देश की प्रति प्राप्त कराकर उक्त का अनुपालन 03 दिन में कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्य प्रेषित करते हुए सतत अनुश्रवण रखें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-Info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: Info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

No.	Name of the Brick Kiln	Location (Village/ Tehsil/ District)	District
1	Abhay Brick Field	Vill. Abhaya Khurd, Sultanpur	Sultanpur
2	Anam Brick Field	Vill. Gupsand, Meeranpur, Teh-Lambhua, Sultanpur	Sultanpur
3	Bahau Ent Bhattha	Vill. Rampur, Hanumanganj, Teh. Lambhua, Sultanpur	Sultanpur
4	Deepak Brick Field	Vill. Gopalpur, Newajgarh, The. Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
5	Hanumant Ent Udyog	Vill. Farnapur, Koyripur, Kamaicha, Chanda, The. Lambhua, Sultanpur	Sultanpur
6	Heera Ent Bhattha	Vill. Mujhin Mahmood, Patti, Teh. Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
7	Jai Maa Ent Udyog	Vill. Katghar Khas, Teh- Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
8	Kanha Brick Field	Vill. Sarai Khelanpur, Barausa, Sultanpur	Sultanpur
9	M R Brick Field	Vill. Nindura, Post. Kurebhar, Teh- Jaisinghpur, Sultanpur	Sultanpur
10	Mahan Ent Udyog	Vill. Bhupalipur, Pakarpur, Surapur, The- Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
11	Nand Brick Field	Vill. Narayanpur, Teh- Jaisinghpur, Sultanpur	Sultanpur
12	New Raj Ent Udyog	Vill. Post- Kadipur, The. Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
13	Pawansut Ent Udyog	Vill. Kankapur, The- Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
14	Prabhu Mahair Brick Field	Vill. Bada Gaon, Post- Rikhpur, Teh- Lambhua, Sultanpur	Sultanpur
15	Raj Ent Udyog	Vill. Jalapur, Post- Kadipur Khurd, The. Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
16	Bajrang Brick Field	Vill. Bhatauta, Tulsipatti, Karaundikalan, Teh- Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
17	Kaif Brick Field	Vill. Dodapur, Teh- Sadar, Sultanpur	Sultanpur
18	Hina Brick Field.	Vill. Lauhar Dakshin, Miranpur, Teh- Sadar, Sultanpur	Sultanpur
19	R S Brick Field	Vill. Madhvapur, Barausa, The. Jaisinghpur, Sultanpur	Sultanpur
20	Sainik Brick Field	Vill. Shahpur, Haribansh, The. Lambhua, Sultanpur	Sultanpur
21	Jai Bharat Brick Field	Vill. Dadapur, Miranpur, The. Sadar, Sultanpur	Sultanpur
22	Tiranga Ent Bhattha	Vill. Utardham Katawan, The. Sadar, Sultanpur	Sultanpur
23	Santosh Ent Battha	Vill. Noorpur Paruram Patti, Dasger Para, Ravaniya, The. Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
24	Annu Ent Bhattha	Vill. Ainpur, Kurebhar, The. Sadar, Sultanpur	Sultanpur
25	Arun Kumar Ent Bhattha	Vill. Gopalpur, Sarai Khwaja, Teh- Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
26	Shakti Brick Field	Vill. Bharsada, Pipergaon, The. Baldirai, Sultanpur	Sultanpur
27	Gulshan Brick Field	Vill. Husepur Saraiya, The. Sadar, Sultanpur	Sultanpur
28	Rajan Ent Udyog,	Vill. Post- Kadipur Khurd, The. Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
29	Yankit Ent Udyog	Vill. Sarai Rani, The. Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
30	Virendra Pratap Singh Ent Bhattha	Vill. Sarai Rani, Bankey Gaon, The. Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
31	JK Brick Field	Vill. Gopalpur, Newajgarh, The. Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
32	Vijay Brick Field	Vill. Raibigo, The. Kadipur, Sultanpur	Sultanpur



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक संख्या-1129/140 /शी-5/R | ई.ए. 324/25

दिनांक 23-6-25
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स लकी ईट उद्योग,
ग्राम-प्राणनाथपुर खुर्द, पो0-किशुनदासपुर, तह0-कादीपुर,
जनपद-सुल्तानपुर।

M 6394012744

यह कि मैसर्स लकी ईट उद्योग, ग्राम-प्राणनाथपुर खुर्द, पो0-किशुनदासपुर, तह0-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयले का प्रयोग कर ईट के उत्पादन के कार्य हेतु वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-39डी के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के कम क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालन (फ्लूकाई) में नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार उक्त ईट भट्टा में अक्षांश व देशान्तर क्रमशः 26.135965, 82.364114 पर स्थापित व संचालित है। आख्यानानुसार निरीक्षण के समय पाया गया कि ईट उद्योग 19 पाया का (लगभग 25,000 ईट/दिन) क्षमता का ईट उद्योग है जिसमें इंधन के रूप में कोयला एवं लकड़ी लगभग 3-4 टन/दिन का प्रयोग होता है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे के ट्रेन्च में ईट भरी होने के कारण ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का सत्यापन नहीं किया जा सका।

यह कि निरीक्षण आख्यानानुसार ईट भट्टे की चिमनी से पूरब दिशा में ग्राम-किशुनदासपुर की आबादी लगभग 250 मीटर की दूरी पर आबादी 15-20 घर, पश्चिम दिशा में ग्राम-जलालपुर की आबादी लगभग 450 मीटर की दूरी पर आबादी 30-35 घर, दक्षिण दिशा में ग्राम-जलालपुर की आबादी लगभग 400 मीटर दूरी पर आबादी 30-35 घर स्थित है। आख्यानानुसार ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालन सहमति (जल एवं वायु) निर्गत नहीं है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के पत्र संख्या-480/सी-2/जी/एस/2024-25 दिनांक 04.11.2024 द्वारा ईट भट्टे का संचालन किसी भी दशा में न करने हेतु निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा स्थल वर्ष 2012 में प्रख्यापित ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापडण्ड) नियमावली जून, 2012 के अनुरूप नहीं पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र संख्या-209/एल-515/2025-26 दिनांक 19.06.2025 द्वारा ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश/निर्देश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को

...2

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

प्रदत्त शक्तियों के अधीन ईट भट्ठा गैरसर्ल लकी ईट उद्योग, ग्राम प्राणनाथपुर खुर्द, पोड-किशुनदासपुर, तहड-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर के गिरुड गिभनत कारण बताओ नोटिस जारी किया जात है -

- 1 यह कि तयो न गैरसर्ल लकी ईट उद्योग, ग्राम-प्राणनाथपुर खुर्द, पोड-किशुनदासपुर, तहड-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर का शघालन तत्काल प्रभाव से गनत कर दिया जाए।
- 2 यह कि तयो न राक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि गैरसर्ल लकी ईट उद्योग, ग्राम-प्राणनाथपुर खुर्द, पोड-किशुनदासपुर, तहड-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर को गिलने वाली गनन अनुड्डा तथा लाडरों-या को तत्काल प्रभाव से गिररत कर दें।

उपरोक्त के संबंध मे पूर्ण स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्ठा एवं ईट भट्ठे स्वामी का होगा।

Digitally signed by

Rajendra Singh

Date: 23-06-2025

16/06/2025 मुख्य पर्यावरण अधिकारी,

वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उडप्रड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,

वृत्त-5



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आगारा विकारा कालोनी,
रायवरेली-229001 (उ०प्र०)

14

पत्रांक- 490/C-2/G/S/2024-25
सेवा में,

दिनांक- 04/11/24

श्री० लफी ईट भट्टा,
ग्राम-जलालपुर, तहसील-कादीपुर,
जिला-सुलतानपुर।


विषय:-ईट भट्टे के अवैध संचालन के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आयुक्त महोदय, अयोध्या मण्डल, अयोध्या को सम्बोधित शिकायत जो इस कार्यालय को कार्यालय जिलाधिकारी के पत्र सं०-386/खनन-2024 दिनांक 10.10.2024 के माध्यम से प्राप्त हुई है, का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त शिकायत के अनुक्रम में आपके ईट भट्टे का निरीक्षण कार्यालय द्वारा दिनांक 24.10.2024 को कराया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालन में नहीं पाया गया। साथ ही यह संज्ञान में आया कि ईट भट्टे का संचालन आप द्वारा अवैध रूप से बिना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए किया जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 के आजापक प्राविधानों का खुला उल्लंघन दर्शाता है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र सं०-303/81-7-2021-39(पर्या)/2014 टी०सी०-1 दिनांक 15.03.2021 एवं पत्र सं०-582/81-7-2021-39(पर्या)/2014 टी०सी०-1 दिनांक 08.07.2021 द्वारा जारी शासनादेश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 के प्राविधानों का समुचित अनुपालन एवं राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किए बिना ईट भट्टे का संचालन संबंधी कोई भी अवैधानिक गतिविधि नहीं की जाए। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी, जिस हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,


(प्रदीप कुमार प्रिंसिपल)
क्षेत्रीय अधिकारी 04/11/24

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, सुलतानपुर।
2. खान निरीक्षक, जनपद सुलतानपुर को पत्र सं०-386/खनन-2024 दिनांक 10.10.2024 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
3. श्री रंगवहादुर सिंह पुत्र श्री काशी प्रसाद सिंह, ग्राम-मोहम्मदाबाद, पो०-किशुनदासपुर, तहसील कादीपुर, सुलतानपुर।


क्षेत्रीय अधिकारी 04/11/24
01/11/24

शिलायत-5


-altitude: 26.132932
-longitude: 82.355665
Altitude: 29.0±17 m
Accuracy: 13.5 m
Time: 17-06-2025 12:03
Vista: Baian, ENTI, Idwan, Kadinar, Sultanpur





Latitude: 26.133052
Longitude: 82.355757
Elevation: 97.21±16 m
Accuracy: 12.5 m
Time: 17-06-2025 12:04
Note: Rajan ENT Udyog Kadipur Sujtanpur


PHOTOGRAPH BY NITESH



Latitude: 26.140936
Longitude: 82.347698
Elevation: 93.24±16 m
Accuracy: 12.3 m
Time: 17-06-2025 12:33
Note: Raj ENT Udyog Kadipur Sultanpur









Latitude: 26.177404
Longitude: 82.371544
Elevation: 104.48±15 m
Accuracy: 7.2 m
Time: 17-06-2025 14:01
Note: New Raj ENT Udyog Kadipur Sultanpur

